

12.53½ hrs.

CORRECTION OF ANSWER TO S.Q.
No. 1649 RE: SUB-WAYS IN DELHI

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-संजी (श्री भक्त दर्शन) : मुझे खेद है कि 8-8-67 को दिल्ली में तलमार्गों से संबद्ध मौखिक प्रश्न संख्या 1649 के पूरक के रूप में श्री कंवर लाल गुप्त के प्रश्न के उत्तर में सभा को दी गई सूचना में, दिल्ली में तीन उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिये दिल्ली नगर निगम के निर्वर्तन पर भूल से 60 लाख रुपये की संख्या सूचित कर दी गई थी। दिल्ली नगर निगम के निर्वर्तन पर 50 लाख रुपये की राशि रखी गई थी और 60 लाख रुपये नहीं जैसा मैंने पूरक के उत्तर में कहा था। सभा की आज्ञा से उस अवसर पर दिये गये उत्तर में दी गई संख्या को अब मैं ठीक करना चाहता हूँ कि वह संख्या 50 लाख रुपया पढ़ी जाये। मुझे अपने उत्तर को ठीक करने में देरी होने का भी खेद है।

12.54 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

NATIONAL SHIPPING BOARD

THE MINISTER OF TRANSPORT
AND SHIPPING (DR. V. K. R. V. RAO) :
I beg to move:

"That in pursuance of sub-section (2) (a) of section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958, the Members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one Member from among themselves to serve as a member of the National Shipping Board for unexpired portion of the term vice late M. K. Shivananjappa."

MR. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-section (2) (a) of section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958, the Members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from among themselves to serve as a member of the National Shipping Board for unexpired portion of the term vice late M. K. Shivananjappa".

The motion was adopted.

78LSS(CP)/67—9

12.55½ hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

EIGHTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMEN-
TARY AFFAIRS AND COMMUNICA-
TIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH): I
beg to move:

"That this House agrees with the Eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 14th November, 1967."

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House agrees with the Eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 14th November, 1967."

The motion was adopted.

12-56 hrs.

MOTIONS RE: REPORT OF EDUCA-
TION COMMISSION AND REPORT
OF COMMITTEE OF MEMBERS OF
PARLIAMENT ON EDUCATION
—contd.

MR. SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following motions moved by Dr. Triguna Sen on the 14th November, 1967, namely:—

"That this House takes note of the Report of the Education Commission 1964-66, laid on the Table of the House on the 29th August, 1966." and

"That this House takes note of the Report of the Committee of Members of Parliament on Education (1967)—National Policy on Education, laid on the Table of the House on the 25th July, 1967."

SHRI M. L. Sondhi may now resume his speech. He has already taken 20 minutes

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi): While looking at the problems which are outlined in the report, although the general questions of the purposes of national education must be stressed and kept in mind, yet, on the more practical side, I beg leave to suggest that the Ministry of Education in implementing its programmes will have to underline certain priorities. The report does not outline priorities. Therefore, we may face the same difficulties which we have faced in our general economic planning

[Shri M. L. Sondhi]

that we have grandiose plans but not adequate resources to implement those plans. Let us remember that our resources are limited and, therefore, the Minister of Education must give some directives to himself in this regard.

I would suggest that the question of teacher-training is an absolute priority. We find that the number of trained teachers is rising, but the number of untrained teachers is also increasing. Therefore, in absolute terms, if we understand the situation, more and more we find that the situation is very distressing because the students have to receive instructions from teachers who do not have the requisite ability or the requisite training by which their abilities can be expressed.

Indeed, in finding out perspectives for our educational policy, it is not only that the teacher has to train the students for jobs which are available today, but on the other hand, the dynamics of economic growth in this country will require us to understand and appreciate that to-day's jobs will become obsolete in due course. As a matter of fact, when we look at the younger generation of today, the generation that is just coming up through schools, we must be assured that in their life-span they would be retrained for perhaps not one but several jobs; in this context, the dimensions which are available to us are in terms of automation, in terms of the other qualities which the space age is presenting before mankind. As I said, our problem is to accommodate and express the advantages of the new scientific age without introducing that mass culture which is causing so much concern to the United States and also indeed, as is evident from the writings of Soviet critics, to the Soviet Union.

What then is the psychology which those in authority should adopt? If I may crave your indulgence to suggest some aspects, I would first of all suggest that we should beware of these two mega-countries or big countries, namely the Soviet Union and the USA. Our problems of education do not require models which are available in these two great countries. I would suggest rather the smaller countries. I would suggest, for example the countries of Eastern Europe, I would suggest Japan where indeed, if we turn to the example of what the Maji

dynasty did in Japan, there was brought about a transformation, which we need in India, with its own resources. Japan adopted the know-how and adopted the techniques from abroad but utilised them in the context of its own environment. Similarly, if we look at Czechoslovakia or Poland or Rumania, we find that they have tackled problems in the context of their own environment, and since our country, as Shri Aurobindo used to point out again and again, is made up of a certain organically composed culture in which different parts of this culture are all vital centres, all of which get together to create a total, that is, India, we must bear this aspect also in mind. This does not apply in the case of the USA where they have a very great problem of keeping together the organic unity of their country, and similar are the difficulties in the Soviet Union. Therefore, our parallels are the parallels provided by these smaller countries to whom we must turn for encouragement and advice on the problems confronting us.

MR. SPEAKER: The hon. Member may continue his speech after lunch.

13 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MOTIONS RE. REPORT OF EDUCATION COMMISSION AND REPORT OF COMMITTEE OF MEMBERS OF PARLIAMENT ON EDUCATION—*contd.*

SHRI M. L. SONDHİ: There are other aspects of the report which I should suggest are indicative of a sense of earnestness, but it will not be sufficient merely to assert that agricultural research or science and technical education will be fostered henceforth in this country. We operate in an environment in which there are pressures upon us, international pressures and internal pressures, which sometimes come in the way of our achieving that which we regard as being consonant with our directive principles of State policy, and in particular, with regard to science education, I should

emphasise the rather dangerous situation which our Education Minister will have to take into account which will arise in the country if the non-proliferation treaty is signed.

To my mind, the sponsors of the non-proliferation treaty are really seeking to hold back the progress of science in countries like India under the guise of fulfilling the important humanitarian objectives. I would refer to the concern which has been caused by the terms of the draft treaty that it will require such close inspection and control over the development of nuclear science in this country, and then questions will arise as to what frontiers of science we should reach, and this might well be the thin end of the wedge.

Already there are articles by academies in other countries suggesting the need to control the change in countries like India. They see India on the horizon, a great giant awakening, and therefore they would like to deprive us of the benefits of nuclear science. I do not say this is shared by all, but it is not the Minister of Education to put his foot down when a suggestion is made that India does not have the right to achieve all that the era of nuclear science opens before us.

What I would suggest in conclusion is that our priorities must be such as to raise the quality of education, as to bring education into the context in which our national objectives shall be expressed, and which will fulfil the aims which our national education had in the past when we were fighting the British. Certain points of view have been expressed here which I fear betray a mentality which is not in keeping with those who laid down their lives to win freedom for India, it is not in keeping with those objectives which a man like Netaji Subhash Chander Bose laid before this country, *i.e.* the objectives of excellence in science and modern technology.

We in the Bharatiya Jana Sangh stand for India's national greatness. This is sometimes confused as being anti-this or that. We are not anti-anyone, we are pro-India, and we therefore do not look upon other members in this House with suspicion. We know that in every heart in this House,

and indeed in this country, that throbs there is the beat which has been heard throughout the centuries in this country, and therefore the Minister for Education really has to assert himself. He has to present before the country a plan, and then, he himself in the other House, gave the slogan of implementation, but in order to implement a plan in the present conditions of this country, he will have to court unpopularity. I will conclude by asking him the question: does he have the courage to be unpopular today?

श्री मनुभाई पटेल (डभोई) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वराज्य के बाद राष्ट्रीय शिक्षा पंच का हवाल एक बड़ी क्रान्तिकारी घटना है क्योंकि स्वराज्य के पहले भी 1854 में जब वुड का डिक्लेरेशन हुआ उस के बाद 110 साल तक देश के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय नीति निर्माण नहीं हुई। बीच-बीच में कोई अलग-अलग पंच की नियुक्ति हुई थी लेकिन पंचों ने भी कहीं तो माध्यमिक शिक्षा तक अपनी रिपोर्ट पेश की या तो युनिवर्सिटी के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की लेकिन सभ्य देश को खयाल में रखते हुए राष्ट्रीय आकांक्षाओं को खयाल में रखते हुए आज की जो शिक्षा प्रणाली है वह आज हमारे देश की जरूरयात को पूर्ण करने के लिए अपूर्ण है। इस को खयाल में रखते हुए शिक्षा के पंच ने बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किया है। इस दस्तावेज को मैं सिर्फ क्लासिकल दस्तावेज नहीं कहता हूँ, क्लासिकल तो है ही, बाल्युनमस भी है और इल्युनमस भी है क्योंकि इस दस्तावेज में 5 लाख शब्दों के दस्तावेज में, 690 पन्ने के दस्तावेज में, सारे देश के भविष्य का जो 20 साल में शिक्षा का पुनर्गठन करना है उसके बारे में बड़ी गहराई से कई सझाव दिये हैं।

अगले बीस सालों में हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, आर्थिक नक्शा कैसा बनाना है, सामाजिक नक्शा कैसा बनाना है, देश के जो आज के हालात हैं, देश में गरीबी है, अन्न के बारे में हम स्वावलम्बी नहीं हैं,

[श्री मनुभाई पटेल]

दूसरे देशों से हमारा देश पिछड़ा हुआ है, देश में राष्ट्रीय एकता नहीं है, इस तरह के जो बड़े-बड़े सवाल हैं, उन सब को हमें हल करना है साथ ही साथ देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिये हमें देश का उत्पादन बढ़ाना है, कारखानों में उत्पादन बढ़ाना है, कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिये टेकनिक को बढ़ाना है। खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना है इस लिये कृषि के विषय को आगे ले जाना है और विदेशों में जो विज्ञान और टेकनिक आगे बढ़ रही है उसके साथ कदम मिलाना है।

इन सब चीजों को खयाल में रखते हुए पिछले बीस सालों की हमारी स्वराज्य यात्रा के दम्यानि भारत सरकार ने यदि कोई सब से बड़ा काम किया है—वैसे तो बहुत से काम हुए हैं और देश उन के लिए कृतज्ञ है—लेकिन स्वराज्य की बात हम आम जनता तक पहुंचा सकें, आम जनता को उठा सकें और हमारे संविधान में जो आदर्श हम ने रखे हैं, अर्थात् डिमाक्रेटिक सोशलिज्म देश में पैदा करना है, उस के लिये काम करना है, इस के बारे में बीस सालों में यदि कोई काम सही दिशा में हुआ है, तो वह इस शिक्षा आयोग की स्थापना का काम है। इस के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इस आयोग की रिपोर्ट को 21 महीने विचार करने के बाद तुरन्त इस सदन के सामने चर्चा के लिये लाना चाहिये था, परन्तु किन्हीं कारणों से वह यहां नहीं आ सकी। लेकिन आज जब चर्चा के लिये यहां आई है तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार ने सही दिशा में पहला कदम उठाया है। इस के लिये मैं शिक्षा मंत्रालय को और शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

आज सारी शिक्षा का सवाल सिर्फ एक बात पर आ कर अड़ गया है, जो कि एक छोटी सी बात है, लेकिन देश की एकता के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं ऐसा समझता हूँ कि शिक्षा का सवाल शिक्षा का माध्यम क्या हो इस पर अड़ गया है। वास्तव में

सामान्य जनता में जो भाषा चलती है, जिसमें सामान्य जनता समझ सकती है और आखीर में इन्सान में जो टेलेन्ट पड़ी है, उस को बाहर लाने के लिये अगर कोई भाषा काम कर सकती है तो वह मातृ भाषा है। यह काम वही कर सकती है, दूसरी नहीं। लेकिन दूसरे सवालों के साथ मिला कर इस को पेचीदा बना दिया गया है। आज हम को इस को सुघारने की कोशिश करनी पड़ेगी। इस लिये इस शिक्षा पंच की रिपोर्ट पर हम को लैंग्वेज प्रॉब्लेम के खयाल से विचार नहीं करना चाहिये, किसी राजनीतिक या सयासी खयाल से विचार नहीं करना चाहिये, शुद्ध सैद्धान्तिक और शिक्षा की दृष्टि से सोचना चाहिए। यदि हम शुद्ध शिक्षण की दृष्टि से सोचें तो हो सकता है कि इस रिपोर्ट में व्यक्त किसी बात से हमारा मतभेद हो, लेकिन आने वाले बीस, तीस, पचास सालों के लिये यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

इस रिपोर्ट में जो सब से बड़ी बात है वह यह कि जो हमारी राष्ट्रीय आकांक्षा है उस को शिक्षा के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। हमारे समाज में जो असमानता है उस को मिटाना है। ईक्वालाइजेशन आफ अपॉर्चुनिटी को शिक्षा में दाखिल करना है। आज शिक्षा के बारे में बड़ी असमानता है। कई लोगों को शिक्षा की बड़ी सुविधा है और कई लोगों को बिल्कुल सुविधा नहीं है। इस विषय के कई पहलुओं पर आयोग ने चर्चा की है। सब से बड़ी बात कामन स्कूलों की है। आज हमारे यहां पब्लिक स्कूल चलते हैं। जो लोग उन पब्लिक स्कूलों को चलाते हैं उन का जो दिमाग है, उस में मेरा खयाल है कि गुलामी के जमाने की मनोदशा आज भी पाई जाती है। इस लिये उस खयाल को खत्म करना चाहिये। जिस देश में डिमाक्रेसी है, जिस देश में डिमाक्रेसी स्थापित करने के लिये राजनीतिक समानता की बात है और वोट का अधिकार लोगों को देने की बात है, चुन कर यहां आने के बाद बड़ी से बड़ी जगह बैठने के अधिकार की बात है, उन को समानता

का अधिकार शिक्षा के क्षेत्र में भी देना चाहिये इस के लिये सबसे बड़ा कदम जो उठाया गया है वह नेबरहुड स्कूल्स का है या कामन स्कूल्स का है। हम को उन को मजबूत करना चाहिये और पब्लिक स्कूल्स को खत्म करना चाहिये।

दूसरी बात जिस पर इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा जोर दिया गया है वह है वर्क एक्स्पीरिएन्स और कम्पल्सरी सर्विस स्कीम्स के बारे में। आज हम विद्यार्थियों को जो शिक्षा देते हैं वह या तो बिल्कुल साहित्यिक होती है या फिर थ्योरेटिकल होती है। देश की, राष्ट्र की सेवा करने की, देश के निर्माण की भावना पैदा हो, उनमें राष्ट्रीय विचार मजबूत हों, इसके बारे में आज की शिक्षा में बहुत ज्यादा कमी है। इस के लिये आप वर्क एक्स्पीरिएन्स को कम्पल्सरी करें। आज देश की जनता परेशान है, आज पुनर्रचना का जो काम है उसको पूरा करने के लिये जिस प्रवृत्ति की आवश्यकता है उसकी कमी है। इस पर विद्यार्थियों को जोर देना चाहिये। आज हम को वर्क एक्स्पीरिएन्स को कम्पल्सरी बनाना चाहिये।

इसके साथ-साथ जिस सब से बड़े सवाल की चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है, जिस पर ऊपर से काफी मतभेद है, हालांकि मैं समझता हूँ कि वह काल्पनिक है, वह सवाल है शिक्षा के माध्यम का। शिक्षा के माध्यम के बारे में आज जो चर्चा चलती है वह कृत्रिम चर्चा है क्योंकि माध्यम के बारे में शिक्षा का काम करनेवाले जितने निष्णात लोग हैं, उन्होंने कई साल पहले ही फैसला कर दिया है। जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा अर्थात् प्राइमरी एजुकेशन का सवाल है, उसके बारे में कोई मतभेद नहीं और सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम रीजनल लैंग्वेज अथवा मातृ भाषा है। जहाँ तक माध्यमिक स्कूलों का सवाल है, वहाँ भी कोई मतभेद नहीं है। वहाँ पर भी शिक्षा का माध्यम रीजनल लैंग्वेज है। इस तरह से रीजनल लैंग्वेज के

खिलाफ कोई वास्तव में है नहीं। जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है, दि साइज आफ दि प्राब्लेम कैन बी मिनिमाइज्ड टु ए बेरी स्माल प्वाइंट। इसलिये जिस की इतनी चर्चा होती है, शिक्षा के माध्यम के बारे में जो बहस होती है, वह इतना बड़ा सवाल नहीं है। छोटा सा सवाल है। प्राथमिक शिक्षा के माध्यम के बारे में कोई तकरार नहीं, माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के बारे में कोई तकरार नहीं। शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के बारे में भी लिखा है वहाँ भी शिक्षा का माध्यम रीजनल लैंग्वेज होना चाहिये। इसलिये वहाँ भी कोई मतभेद नहीं। यूनिवर्सिटीज के वाइस-चांसलर्स की एक कांफ्रेंस हुई थी। उन्होंने भी इस पर एकमत प्रकट किया है। मतभेद का सवाल सिर्फ छोटा-सा है कि स्विच-ओवर का पीरियड कितना होना चाहिये। उसके बारे में कहा गया है कि पांच साल में स्विच-ओवर करना चाहिये। वाइस-चांसलर्स ने कहा है कि पांच से दस साल में स्विच-ओवर करना चाहिये। इतना भी स्वीकार कर लिया गया है कि फर्स्ट डिग्री-कोर्स तक तो स्विच-ओवर कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के मामले में उसके बाद विचार करना चाहिये। इस तरह से माध्यम के रूप में रीजनल लैंग्वेज के बारे में कोई मतभेद नहीं है।

हमारी एक राष्ट्रीय भाषा है इसके बारे में आज जो विवाद चलता है उसका रिफ्लेक्शन इस मामले पर डालने से हम कोई सवाल हल नहीं कर सकते हैं। संविधान ने स्वीकार किया है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है। कोई उसको लिख भाषा भी कहते हैं या दूसरी भाषा कहते हैं। हमारा इससे भी कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध तो इससे है कि अंग्रेजी हमारी राजकीय भाषा हो। हमारे जो मित्त विरोध करते हैं वह चाहते हैं कि हिन्दी और अंग्रेजी साथ-साथ चलें। जब यह प्रश्न आयेगा तब मैं इसकी चर्चा करूँगा। लेकिन जहाँ तक अंग्रेजी का सवाल है, अंग्रेजी के विरुद्ध कोई नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का

[श्री मनुभाई पटेल]

सम्बन्ध दुनिया के साथ कायम रहे तो अंग्रेजी को हम को बरकरार रखना होगा। हम लगभग डेढ़ दो सौ सालों से गुलाम रहे, हम ने उनकी भाषा सीखी। यह अंग्रेजी गुलामी का अवशेष रह गई है, फिर भी आज जब दुनिया टेकनालोजी और सायंस में आगे बढ़ रही है और हम को उसके साथ कदम मिलाना है, तो हमारे देश के लोगों को अंग्रेजी सीखनी ही पड़ेगी। लेकिन वह सिर्फ एक भाषा के रूप में होगी, मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन के रूप में नहीं। इतना स्पष्ट होना चाहिये। मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन के बारे में किसी को भी मतभेद नहीं है।

कल हमारे मित्र श्री लोबो प्रभू ने कहा कि मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होनी चाहिये। आज वह यहां पर हाजिर होते तो ठीक होता। उन्होंने कहा कि हम यू० पी० के लोगों से पूछें। उन्होंने कहा कि यू० पी० का उनको एक सैम्पल सर्वे मिला उससे पता चला कि 82 प्रतिशत लोगों का माध्यम इंग्लिश होता है।

SHRI PILOO MODY (Godhra) : That was in Mysore.

श्री मनुभाई पटेल : मैं तो यह कहूंगा कि क्या विद्यार्थियों की बुद्धि इतनी स्थिर नहीं होती है कि आप उनसे पूछें कि वह किस भाषा में शिक्षा लेना चाहते हैं। श्री लोबो प्रभू कहते हैं कि यह उनको तय नहीं करना चाहिये, यह चोज पेरेन्ट्स पर छोड़नी चाहिये। आज श्री पालू मोदी जैसे लोग अवश्य कहेंगे कि अंग्रेजी भाषा माध्यम होनी चाहिये क्योंकि वह चाहते हैं कि अपने बच्चों को इंग्लैण्ड भेजें। लेकिन इस तरह के लोग कितने प्रतिशत हैं ? 1 प्रतिशत से भी कम लोग जो अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं, उनके लिये 99 परसेंट लोगों पर अंग्रेजी लाने की जो प्रवृत्ति है वह उन्हीं लोगों की है जो कि हिन्दुस्तान का जो स्वराज्य आया है हिन्दुस्तान में जो राजनीतिक क्रान्ति हुई है, उसको समझ नहीं पाये हैं।

यदि हिन्दुस्तान की क्रान्ति को समझ पाते तो ऐसा नहीं कहते . . .

SHRI PILOO MODY : Students do not understand it; teachers do not understand it; parents do not understand it. Only you understand it.

SHRI MANUBHAI PATEL : Not only I, but the whole House. In England will you ask the Englishmen to teach all the subjects through Hindi or Sanskrit medium ?

SHRI PILOO MODY : The problem does not exist in England. It exists only here.

श्री मनुभाई पटेल : मैं मोदी साहब जैसे जितने भी हमारे मित्र हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रूस में या जर्मनी में या यूरोप के दूसरे देशों में वे अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। क्या वे जर्मनी में जा कर यह कहेंगे कि वहां जितनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन हिन्दी रखिये, संस्कृत रखिये, या हिन्दुस्तान की कोई और भाषा रखिये, तमिल रखिये, गुजराती रखिए या कोई और भाषा रखिये और अगर उन्होंने कहा भी तो क्या उनकी इस मांग को वहां स्वीकार कर लिया जाएगा। हम भी एक स्वाभिमानी देश हैं, स्वाभिमानी राष्ट्र हैं। मैं केवल राज्य की दृष्टि से बात नहीं करता हूँ। शैक्षणिक दृष्टि से मैं बात करता हूँ। जहां तक रिजनल लैंग्वेज का सम्बन्ध है, उनको मीडियम बनाये जाने का सम्बन्ध है कोई मुश्किल की बात नहीं है। हिन्दी का भी सवाल उन्होंने उठाया था। आल इंडिया इंस्टीट्यूशंस में कैसे चलेगा यह भी सवाल उठाया था। अगर कोई लड़का साउथ से नार्थ में जाएगा या ईस्ट से वेस्ट में जाएगा तो कौन सी भाषा में पढ़ाया जाएगा उसको। यह सवाल भी उठाया गया था। कमिशन ने साफ कहा है कि आल इंडिया इंस्टीट्यूशंस जितनी होंगी वहां का मीडिया हिन्दी एंड इंग्लिश या हिन्दी और इंग्लिश रहेगा। इस वास्ते उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। इस

वास्ते इस मामले में भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिये।

हम इस बात को न भूलें कि हमको हिन्दी को मीडियम आफ इन्स्ट्रक्शन ही नहीं बनाना है बल्कि इसको राष्ट्र भाषा भी बनाना है। इस कमिशन की रिपोर्ट में हिन्दी को भाषा का स्थान तो दिया ही गया है लेकिन इसको हम राष्ट्र भाषा बनाना भी संविधान में तय कर चुके हैं। हम कह चुके हैं कि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है। अब हम इसको कैसे बढ़ायें, इसको हम कैसे मजबूत करें यह भी शिक्षा का एक आबजैक्टिव होना चाहिये। यह राष्ट्र भाषा हो इसका आज अहिन्दी भाषी लोग विरोध करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि हिन्दी का वे इसलिए विरोध करते हैं कि यह एक भाषा है बल्कि इसलिए विरोध करते हैं कि उनको राजकीय फीयर है। लेकिन इस तरह का फीयर भी उनको नहीं होना चाहिये। डेमोक्रेसी में बहुसंख्या का राज चलता है। वे समझते हैं कि वे अल्पमत में रह जाएंगे। मैं समझता हूँ कि उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि हम हिन्दी सीख लें तो हम मैजोरिटी में हो जाते हैं। फिर आप यह भी देखें कि जब अहिन्दी स्टेट्स में से आई० सी० एस० होने के लिए लॉग जाते थे तब भी तो वे इंग्लिश को नहीं जानते थे। यदि वे एक विदेशी भाषा पर इतना प्रभुत्व हासिल कर सकते हैं तो क्या एक अपनी ही भाषा पर उतना ही या उससे भी ज्यादा प्रभुत्व नहीं पा सकते हैं? हम जरूर प्रभुत्व पा सकते हैं। मैं भी अहिन्दी भाषाभाषी प्रान्त से आता हूँ। अंग्रेजी में बोलना मेरे लिए आसान था। लेकिन चूंकि भाषा के विषय पर मैं बोल रहा हूँ इस वास्ते मैंने सोचा कि हिन्दी में मैं बोलूँ तो अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि सभी सहमत होंगे कि हमारे राष्ट्र के लिए यदि कोई भाषा हो सकती है जिसको चाहे आप लिक लैंग्वेज कह लें या किसी भी नाम से पुकार लें जिसका व्यवहार सभी प्रान्तों में हो तो वह हिन्दी ही हो सकती है और इसके सिवा कोई दूसरी भाषा

नहीं हो सकती है।

हमारे भाई जो साउथ से आते हैं वे थोड़ा सा कष्ट उठा कर कन्याकुमारी जाएं या जो हिन्दी का विरोध कर रहे हैं वे ज़रा कन्याकुमारी तक जाएं और जाकर देखें कि वहां क्या स्थिति है। मैं वहां गया हूँ। वहां मैंने देखा है कि छोटे-छोटे तमिलियन बच्चे, लड़के हिन्दी में बोलते हैं, गुजराती और मराठी में बोलते हैं...

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): That is completely false. You are only a Hindi agent. (Interruptions).

श्री मनुभाई पटेल : खुद जाइये और जा कर देख लीजिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let him have his say.

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) : साउथ मत कहो, साउथ में मद्रास में कुछ लोग खिलाफ हैं इस तरह से कहो।

श्री मनुभाई पटेल : मैं श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा को धन्यवाद देता हूँ उसके लिए जो उन्होंने कहा है। चन्द रोज पहले हम पब्लिक अंडरटैकिंग कमेटी के मँम्बर ऑफ्र में गए थे। हैदराबाद भी हम गए थे। हमने देखा कि हैदराबाद में हम तो अंग्रेजी में बोलते थे लेकिन वहां के सब लोग हमारे साथ हिन्दी में बात करते थे। लेकिन मैं भाषा के सवाल को बीच में नहीं लाना चाहता हूँ क्योंकि यह शिक्षा के माध्यम का सवाल है। यह भाषा का एक हिस्सा है और छोटा-सा हिस्सा है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहां तक रिज्नेल लैंग्वेज का सम्बन्ध है स्वभावतः उनका विरोध नहीं होना चाहिये। यदि इसको हमने हल कर दिया और रिज्नेल लैंग्वेज को शिक्षा का माध्यम बना दिया तो शिक्षा की समस्या हल हो जाएगी।

शिक्षा के दूसरे भी बहुत से पहलू हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को हमें ऊपर उठाना है,

[श्री मनुभाई पटेल]

उसके स्तर को सुधारना है। जिस तेजी से हम शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं उतनी तेजी से इसके स्तर में हम सुधार नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में भी कमिशन ने बहुत सी सिफारिशें की हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

मुझे लगता है कि इसमें सब से बुनियादी जो बात है वह शिक्षकों के स्तर को बढ़ाना है, शिक्षकों की क्वालिटी को अच्छा करना है। यदि हम इसको करना चाहते हैं तो शिक्षकों की तनख्वाहों के बारे में भी हमको कुछ सोचना होगा। जब तक हम शिक्षकों की आर्थिक समस्या को हल नहीं करेंगे तब तक हमको अच्छे और क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिल पायेंगे। अगर हमको क्वालिफाइड और अच्छे शिक्षकों को शिक्षा क्षेत्र में आकर्षित करना है तो हमें उनको अच्छी तनख्वाह देनी होगी। इसके बारे में रिपोर्ट में बहुत से सुझाव दिये गये हैं। लेकिन मुझे आशंका है भारत सरकार आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस बारे में कुछ ठोस कदम उठा सकेगी। 1951 में जो शिक्षा पर खर्च होता था वह बढ़ कर चार सौ करोड़ रुपया होने लग गया है। बीस साल के बाद कमिशन का अंदाजा यह है कि 4,036 करोड़ रुपया खर्च होगा। आज 2.9 परसेंट आफ नेशनल इनकम इसके ऊपर खर्च की जाती है। हर साल दस बढ़ते जाना पड़ेगा। अगले साल अगर आप 2.9 प्रतिशत को दुगुना करेंगे तो आपको 6 प्रतिशत करना पड़ेगा। अगर ऐसा किया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा बोझ आ जाएगा। इस पहलू पर हमें गहराई से सोचना होगा। आज स्टेट्स में क्या होता है। आन एन एन्नेज राज्य बीस प्रतिशत तक खर्च करते हैं। केरल 33.9 प्रतिशत अपनी आमदनी का खर्च करता है। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन कमिशन ने एजुकेशन का जो ढाँचा स्वीकार किया है उसको हमें मान लेना चाहिये।

प्राइमरी एजुकेशन के बारे में हमने उसको फ्री, कम्पलसरी एंड यूनिवर्सल करार दिया था।

लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पाए। जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें हमें प्री प्राइमरी पर जोर देना है। प्री प्राइमरी पर केवल जोर देने से ही काम नहीं चल सकता है। मैं समझता हूँ कि उसको भी स्टेट का सबजेक्ट बना दिया जाना चाहिये। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जितनी जिम्मेदारी स्टेट की है उतनी ही जिम्मेदारी प्री प्राइमरी के बारे में भी उनको ले लेनी चाहिये।

एक और भी बात है। प्राइमरी कहीं पर चार साल की है और कहीं पर तीन साल की है। इसी तरह से हायर सैकेंडरी कहीं पर तीन साल की है और कहीं पर दो साल की है। इसी तरह से डिग्री कोर्स कहीं पर तीन साल का है और कहीं पर चार साल का है। एजुकेशन कमिशन ने इस सब के बारे में एक स्ट्रक्चरल पैटर्न बताया है और उसको स्वीकार कर लेना चाहिये। उसने कहा है कि दस साल की एजुकेशन सब के लिए होनी चाहिये, एक जनरल एजुकेशन होनी चाहिये। फिर उसने कहा है दो साल की हायर सैकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिये। उसके बाद दो साल डिग्री के लिए और दो साल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होने चाहिये। मुदालियर कमिशन ने बहुत क्षेत्रीय स्थलों के बारे में जो प्रस्ताव रखा था वह ग्यारह साल का था। उसके ऊपर कुछ काम भी हुआ था लेकिन वह निष्फल साबित हुआ है। इसका कारण है कि समग्र दृष्टि से उस पर विचार नहीं हुआ था। प्राइमरी के साथ उसको जोड़ना चाहिये था, यूनिवर्सिटी के साथ उसको जोड़ना चाहिये था और जो देश की परिस्थितियाँ हैं उनके साथ उसको जोड़ना चाहिये था। तब इसका खयाल नहीं हुआ था। इसलिए वह एक गलती हो गई थी। शिक्षा आयोग ने इसके बारे में हिम्मत बंधाई है और जो गलती पहले हो गई है उसका अब सुधार होना चाहिये। दस साल की जनरल एजुकेशन को सब को सुविधा हो, कामन स्कूल हों। पब्लिक स्कूल को आप खत्म कर दें। रिजनल लैंग्वेज को आप लें। यदि

बच्चों को कामन स्कूल में भेजा जाएगा तो उनका स्तर ऊंचा होगा।

श्री पीलू मोडी : शिक्षण ही बन्द कर दो। हम सब जानवर पैदा करेंगे।

श्री मनुभाई पटेल : हिन्दुस्तान में लोगों को जानवर कहना कोई ज्यादा अकलमन्दी की बात नहीं है।

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAM-MA : He should withdraw it. If children go to common schools, are they going to become animals ?

श्री मनुभाई पटेल : मैं कह रहा था कि यदि हम कामन स्कूल एस्टेबलिश नहीं करेंगे और पब्लिक स्कूल को चलते रहने देंगे तो, देश में जितनी जनता है और खास तौर से आम जनता है, जिसको आज सामाजिकता नहीं मिली है, जिसको हम सोशल जस्टिस नहीं दे सके हैं, जिसको आर्थिक समानता नहीं मिली है वह आज तक तो गांधी जी के प्रभाव के कारण चुप है, देश को आजादी की लड़ाई जिस ढंग से लड़ी गई है उसके कारण आज चुप है, खामोश है, शान्त है, लेकिन कल को भी वह शान्त रहेगी, यह नहीं कहा जा सकता है। यदि इस देश को आम जनता का असंतोष उग्र हो गया, तो यहां पर एक ऐसी क्रान्ति होगी, एक ऐसी ज्वाला भड़केगी, जिसमें पब्लिक स्कूलों के समर्थक और उनमें अपने बच्चों को भेजने वाले सब खत्म हो जायेंगे। हम उनको खत्म नहीं करेंगे। इसलिए पब्लिक स्कूल मेन्टलिटी वाले लोगों के हित में है कि यदि देश में ऐसी क्रान्ति न होने देना हो, तो यहां पर कामन स्कूल स्थापित किये जायें और पब्लिक स्कूल खत्म कर दिये जायें।

कमीशन ने प्राइमरी एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। इस सम्बन्ध में मुख्य बात तो यह है कि अभी तक प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी ढंग की चल रही है, लेकिन कार्य से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। गांधीजी ने प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक क्रान्तिकारी विचार दिया, जिसको वर्धा योजना कहा जाता

था और बाद में जिसको बुनियादी तालीम का नाम दिया गया। बुनियादी तालीम के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का जो ढांचा बनाया गया, सिद्धान्त में तो वह बहुत अच्छा था, लेकिन उसको कार्यान्वित करने वालों ने उस पर अमल नहीं किया। इसलिए उसमें वांछित सफलता नहीं मिली। मैं कहना चाहता हूँ कि बुनियादी तालीम या वर्धा योजना कोई निष्फल योजना नहीं है, वह एक सफल योजना है। हिन्दुस्तान एक नौजवानों का देश है। इसकी 50 करोड़ जनसंख्या में 18 करोड़ नौजवान हैं, जिनमें से 7 करोड़ बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। ये बच्चे सात साल तक तो कमरे की चारदीवारी में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर हाई स्कूल में जाते हैं। इनमें से सब तो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जायेंगे—कुछ अवश्य जायेंगे, लेकिन सौ फीसदी नहीं जायेंगे—, सात साल तक प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त कर के, जो कि फ्री और कम्पलसरी होगी, ये किसी न किसी धंधे में लग जायेंगे। ये अपने खुद के धंधे अथवा खेती अथवा कारखाने में लग जायेंगे। अगर ये बच्चे सात साल तक केवल लिखा-पढ़ी में लगे रहे, कार्य से उनका कोई सम्बन्ध न हुआ और इस अवधि में उनको कोई काम नहीं सिखाया गया, तो फिर खेतों या कारखानों में काम करने का उनका दिल नहीं होगा। इसका परिणाम यह होगा कि देश में बेकारों की एक बड़ी फौज पैदा हो जायेगी। आज यही हो रहा है।

इस स्थिति में यह आवश्यक है कि प्राइमरी एजुकेशन का सम्बन्ध उद्योग से जोड़ा जाये। लेकिन यह जाहिर है कि इन बच्चों को एयरो-प्लेन बनाना या बड़ी-बड़ी मशीनरी तैयार करने का काम नहीं सिखाया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि जीवन से जिसका ज्यादा से ज्यादा सम्बन्ध है, वह है अन्न और कपड़ा। ये दोनों उद्योग हम गांव-गांव में सिखा सकते हैं। इसमें सफलता नहीं मिली है, यह एक अलग बात है। लेकिन कमीशन ने बेसिक

[श्री मनुभाई पटेल]

एजुकेशन का नाम तक नहीं लिया है और उसने यह ठीक नहीं किया है। यह ठीक है कि उसने बेसिक एजुकेशन के सिद्धान्त अपना लिये हैं। बेसिक एजुकेशन को गांधीजी ने शुरू किया था। श्री चेस्टर बोल्ज ने कहा है कि जब अमरीका में शिक्षा सम्बन्धी एक्सपेरिमेंट किये गए, तो वहां भी बेसिक एजुकेशन के सिद्धान्त लागू करने पड़े।

गांधीजी ने बेसिक एजुकेशन का विचार दिया, यह तो सब को ठीक लगता है, लेकिन चूंकि कांग्रेस सब राज्यों में सरकार चलाती थी और उसने इस एजुकेशन को प्रोत्साहन और प्रश्रय दिया, केवल इस कारण इस शिक्षा का विरोध करना ठीक नहीं है। हमें बेसिक एजुकेशन को केवल शिक्षा की दृष्टि से जांचना चाहिए। हमने माध्यमिक शिक्षा में वर्क एक्सपीरियंस और सोशल सर्विस को कम्पलसरी रखा है। यदि इस संस्कार को दृढ़ीभूत करना हो, तो प्राइमरी एजुकेशन में भी इसको लागू करना चाहिए।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यद्यपि 609 पन्नों और 29 चैप्टरों की इतनी बड़ी रिपोर्ट के सम्बन्ध में इतने थोड़े समय में कोई राय देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इसके मुख्य पहलुओं—रिजनल लैंग्वेजिज, वर्क एक्सपीरियंस और सोशल सर्विस तथा शिक्षकों का स्तर बढ़ाने पर ज्यादा जोर देता हूँ, जिससे हमारे देश की शिक्षा का स्तर ऊंचा हो।

मैं एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट का हृदय से स्वागत करता हूँ, क्योंकि भविष्य में हम अपने देश का जो ढांचा बदलना चाहते हैं, उसकी बुनियाद इसमें है, आने वाली पीढ़ी को तैयार करने की बुनियाद इसमें है; देश की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की बुनियाद इसमें है; उद्योग, खेती आदि की देश की सब समस्याओं को हल करने की बुनियाद इसमें है।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा है, स्वराज्य के बाद इन बीस सालों में यदि कोई सब से बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ है, तो वह यह है। इसको परिपूर्ण करने की जिम्मेदारी हमारे आज के शिक्षा मंत्री और उनके साथियों को है। हम सब उनके साथ रहेंगे। वह एक शिक्षक है, पालिटीशन नहीं है और वह इस शिक्षा के सारे सवाल को सिर्फ़ पोलिटिकल दृष्टि से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा की दृष्टि से सोचते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सब आपोजीशन पार्टियों सहित सारा सदन मिल कर सर्वानुमति से इसको सपोर्ट करेगा, जिससे एजुकेशन मिनिस्टर के हाथ मजबूत हों और वह अपनी टर्म के दौरान शिक्षा के पुनर्गठन की पक्की नींव डाल सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस रिपोर्ट का स्वागत करता हूँ।

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): Mr. Deputy-Speaker, the speakers who preceded me, though they started speaking on the report of the Education Commission finally turned their speeches on the language problem. Sir, the education problem in India though it is said to be not so much, on a large scale, dependent on language, mainly depends on the language problem. Before starting my comments on this subject I would like to quote Rajaji. Rajaji, the other day, said in Madras :

"In those days there was a slogan 'students should not participate in politics' because of their immaturity; the slogan of today should be 'politicians should not take up education' because of their illiteracy."

Education is mainly a State subject. It does not come under the purview of the Central Government. Having this in mind I would like to discuss the report of the Education Commission and the report of the Members of Parliament on national policy. Sir, whatever resolutions we may pass, whatever Acts we may pass, ultimately it is the States that are going to implement it. We may have pious views, we may have majority views, we may want to thrust majority views on minorities, but it is not going to help. It is the States and the States alone

that are going to implement the resolutions that we are going to pass. The States must be given a full chance on education. Moreover, the States have already taken up the cause of education. There are about twenty Education Ministers throughout India. They are discussing educational problems. They have got their own departments of education. At the same time, we are having a huge ministry—I am told it is the biggest ministry—at the Centre. At one time I wanted to suggest the abolition of the Education Ministry at the centre because it is not necessary. A small department is enough to run the education department throughout the country.

It is not a Central subject; it is only a State subject. The Education Commission Report is a voluminous one. Any two or three officials of our department would have produced a voluminous report like this; it is not necessary to have so many experts from foreign countries and India to produce such a report. Already the need of the hour is decentralisation and not centralisation of powers. The States must be given a free hand in the matter of education.

I am told that our Education Minister, Dr. Triguna Sen, wants to solve this problem during his tenure of office. I do not know what is tenure is going to be. Even if it is taken to be another four years, I am sure that he cannot solve this problem even by that time, because it depends mainly on the language problem. He cannot ignore it. It is like cutting the Gordian knot.

Here I would like to quote the leader of the DMK from his Minute of Dissent to the Report of the MP's Committee on Education. He says :

“In our anxiety to formulate a language formula we should not forget that the official language question is not settled as yet. The language policy on education should not be utilized as a back-door method to implement or to introduce the official language which is under consideration. While there can be no two opinions that there should be unity among the diverse groups in India, it should be clear that unity is not to be confused with uniformity and link language is a question to be decided by the people and shaped by time in the process of evolution.”

I would like to remind this House that this language problem is an emotional one and it should be resolved first and solution must be found to that problem before the Centre can interfere in the State subject of education.

The first speaker on this debate, Dr. Govind Das, regretted that there are so many recommendations in favour of English in the Education Commission Report. But on one point I entirely agree with him. He said that he is supporting the two-language formula. I also support the two-language formula. According to the two languages are my language, that is, the regional language and English. But, according to him, it is entirely different.

Both the Education Commission and the Committee of Members of Parliament on Education start with a wrong maxim and wrong premise. They take it for granted that Hindi is the official language of India. That is not so. We do not accept it. You are thrusting it on us. You show us a copy of the Constitution of India and say that it says that Hindi is the official language of India. But the Constitution says so many other things also. Have you accepted all of them? Further, if it is so sacrosanct, why did you amend it 19 or 20 times? The Constitution was drafted some 25 years back and it says so many things which are yet to be implemented. What about prohibition? Though Gandhiji was for prohibition and the Constitution also wants prohibition, I ask my Congress friends, what is happening in Maharashtra, Punjab and Haryana in the matter of prohibition. They are not for Gandhism in those matters, but only in the matter of Hindi, because Hindi is their mother tongue. Since Hindi is the mother tongue of most of them, they want Hindi to become the official language of India. They want to emulate the Englishmen in that respect. Once English was the sole official language of India and because of that Englishmen became the rulers of India. Now the Hindi-speaking people, Hindi zealots, the champions of Hindi want Hindi to become the sole official language of India so that they can become the rulers of India, the masters of India. It is not going to happen. We are not going to allow them to go to that extent. Because, we want equal status for our language with other Indian languages. Hindi, after

[Shri G. Vishwanathan]

all, is only a regional language. May be, it is spoken in two or three States, but Tamil is spoken throughout the world, in Malaysia, Ceylon and East Africa. Will you accept it as the official language of India? You would not, because it is not your mother tongue and you are not going to be benefited by it. That is why you are not accepting it. It is the same case with us also.

An hon. Member, I think it is from Andhra, said that only a few people in the South, that too in Madras, have opposed Hindi. I would like to invite her attention to the recent by-election from South Madras parliamentary constituency. The main election issue was the question of language. DMK and Congress fought the election on that vital issue. While DMK said that English should be the only official language of India at the Centre, the Congress said that both English and Hindi should be the official languages of India. When this language issue was placed before the public, what was the result of the election? The Congress received a crushing defeat. While in the last general election our State Chief Minister won with a majority of 82,000 votes, in this election, even though the total polling was less by one lakh, the DMK party got a majority of 1,05,000 votes. So, the people, rich or poor, intelligent or unintelligent, student or teacher, literate or illiterate, parents or students all are against Hindi. Please understand this.

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAM-MA : Because people are misguided.

SHRI G. VISWANATHAN : Do you think that the people of Madras are not informed? They are more informed than the hon. Member. Do you think that the people of Madras city, who are running the government, the administration, supposed to be the best administration in the country, they are ill-informed or illiterate?

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAM-MA : Do you mean to say that people will burn themselves with petrol just because English is not the only official language?

SHRI G. VISWANATHAN : That is because there are people who are Judas and Hindi agents. I know that there are

champions of Hindi in Madhya Pradesh and other States. I can understand it. But there are no such champions in the South; they are only agents. They expect something from the Centre, from the Hindi-speaking people and, therefore, they support Hindi. I can say this from the top of mountains.

Those in the North who are the protagonists of the regional language have got an ulterior motive. By supporting the regional language they want to create a vacuum in the place of English. If English is banished, if English is thrown out, there will be a vacuum; they want to push Hindi into that vacuum. That is their ultimate aim. But it is not going to happen.

Any intelligent person who has heard the arguments of Shri Lobo Prabhu will come to the conclusion that the introduction of Hindi is a sign of backwardness. Can anyone challenge that argument? No. No hon. Member challenged it when he spoke. It is a sign of backwardness. Nobody can dispute it. It may not be so for ever, but at present it is only a sign of backwardness. You have not improved your mother tongue in your own State. Then how do you expect us or ask us to learn Hindi? You have not yourself learnt it. Only 40 per cent of the people in the Hindi-speaking area have learnt Hindi, not the other 60 per cent people.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member should address the Chair and not the audience.

SHRI G. VISWANATHAN : The hon. Member, Dr. Govind Das, said that there is deterioration in educational standards because the medium of instruction is English. It is a strange argument. Assuming for the sake of argument that the standard has deteriorated, if that is the case with English as the medium of instruction, what will be the fate of the standard if Hindi becomes the medium of instruction? It will be worse than what it is at present.

Again, the Report says that in the All India Institutions both Hindi and English should continue to be the media of instruction. Then what will be the result? The students in all the States undergo their primary, secondary and even university education in their mother tongue. Then, when

they go to an all-India institution like the All India Institute of Medical Science, they will find themselves in a difficult situation because the media there will be only Hindi and English. That is why I say that all the regional languages should become the media of instruction in the all-India institutions. In whichever State they are located, the language of that State should be the medium of instruction in those institutions. Till that time the *status quo*, that is to say, English, should continue to be the medium of instruction. That is the only solution.

Then, the Education Commission has recommended a National Board of School Education. It has mentioned what should be the personnel of the Board, what should be their functions etc. Excepting the salary of personnel, they have given all the details. I say that this Board is unnecessary. Already we are having too many institutions or bodies in the matter of education. There are already 5,000 or 6,000 people at the Centre for administering education. We are already spending so many crores of rupees in the States for education. So, there is no necessity for the creation of a National Board of School Education.

Again, the Education Commission has recommended a common scientific and technological terminology. This may apply if the script and the structure of the languages in India are the same. But this is not the case. We have got two different groups of languages, the Dravidian group of languages and non-Dravidian group of languages. If you coin a common scientific and technological terminology, if it applies to Tamilnad or Kerala, it will not apply to U. P. or Madhya Pradesh. So, it must be modified suitably.

Then, they want that the change-over or the switch-over should be in five years. It may sound well but it is not practicable because we lack in so many things. I support regional language medium in my University but it is different from my wishes because we lack in so many things, textbooks, finance and all that. We have not made arrangements for these things though we have passed resolutions. The Vice-Chancellors, the State Education Ministers and the State Governments should be entrusted with the responsibility of switch-

ing over from one medium to another. The Centre should not interfere in this thing. The Education Minister should see that the all-India institutions run properly, function properly and there is coordination between the States and he should not poke his nose in the States' subjects.

SHRI MOHSIN (Dharwar South)
Mr. Deputy-Speaker, Sir, I was fortunate enough to hear the ardent advocate of Hindi, Dr. Govind Das, advocating the cause of Hindi and also the D.M.K. Member from Madras who is an arch-enemy of Hindi and strong advocate of English.

The debate is becoming very interesting but the education policy is becoming more difficult now to be implemented. Even after 20 years of Independence, we have not been able to formulate a national policy on education. We are yet discussing the problems even after 20 years of Independence. With the change of the Ministers, new ideas come in and the old Ministers go out. I do not know where we will be reaching.

In this Committee's Report, a new idea has been brought in to eliminate all public schools and to have neighbourhood schools. It is a very fine idea. We do not want some privileged class of people to send their children to some special schools and deprive the common man of a better education. The Committee is, rightly, thinking of having common schools for all and they want to make it obligatory for one and all to send their children to such schools. But I am afraid whether the Constitution will allow us to go ahead with this idea.

SHRI PILOO MODY : They are not bothered about that.

SHRI MOHSIN : The Constitution provides the right of liberty to every individual to send his children to any school he likes. There is a judgment of the Bombay High Court; the former Education Minister, Mr. Chagla, has himself given a judgment on human rights. So, every individual has got a right to send his child to whichever school he likes. Otherwise, it is a very fine idea. I would recommend a school wherein boys from every class of society, regardless of caste, creed or language, can go and learn. It is a social equality and an equality of opportunity also. But the question is whether it is possible to do it.

[Shri Mohsin]

We have to find out why public schools have been encouraged now. It is because of better education. The people send their children to public schools or some special schools because they can get a better standard of education, not for any fun. I know the education is very costly in public schools and the admission is also very difficult. But still the people send their children to public schools because they want better education. If you provide such a good education in these neighbourhood schools, automatically, public schools will be closed. There is no need for advocating this policy. So, the main objective is to have a better standard of education of the common people. What is the present situation? We want mass education; we have introduced compulsory education at primary stage. Where are the schools? There are no buildings. When there are students, there are no teachers and there are no text-books. With this state of affairs, we want to spread education and we want that all children should come to such schools wherein no education is given. My hon. friend was right when he was saying that there is no education in such schools. Where are the funds to have better education? The Education Minister may say, "Yes, we want better schools; we want to equip them with better equipment." Where are the funds? It is a very nice idea to have neighbourhood schools. If you have a better standard of education in neighbourhood schools, automatically, public schools will be closed. We need not advocate it.

About the linguistic minorities, of course, there is the safeguard. In implementing the programme, the rights of linguistic minorities should not be adversely affected. Of course, there are Anglo-Indians whose mother-tongue is English and they would like to send their children to English-medium schools. There may be others who would want to send their children to Urdu-medium schools. In almost every State, there are linguistic minorities. After the reorganisation of States, everywhere there are linguistic minorities. So, their interests will have to be safeguarded. It is not sufficient to say that their interests will be safeguarded. Some practicable suggestions will have to be embodied in the Report itself. Otherwise, I am afraid, these linguistic States will be

very averse to the opening of schools with other media of instruction. So, there may be some pressure, some influence, just to see that other languages do not prosper in the reorganised States. When we say that there should be neighbourhood schools, sufficient safeguards should be given to linguistic minorities and they should see that they are properly implemented. But the question is whether the Centre has got all the powers to do it. As the hon. Member who spoke before me said, it is a States' subject. The question is whether the Central government has got powers to impress upon the State Governments to see that the interests of linguistic minorities are safeguarded and to what extent.

What is happening today? Urdu is neglected everywhere. Though Urdu is spoken of and is the language of more than 10 crores of people, it has been neglected everywhere. What is the situation in U.P.? What is the position in Bihar? My hon. friend, Mr. Sondhi, was saying that his party is not anti-anybody and that it is pro-India. I am very glad to hear it. What is the action of Jan Sanghis in Bihar and U.P. wherein they carry on an anti-Urdu propaganda?

SHRI BALRAJ MADHOK (South Delhi): Is Urdu the local language? Let them have the local language.

SHRI MOHSIN: The people do not say that Urdu should become the State language of Bihar. That is not their demand. They want a proper status for Urdu. When you have such an idea of anti-Urdu, how can Hindi prosper? Our Hindi protagonists want to suppress all languages in order to encourage Hindi. This is a way of encouragement to Hindi. I have got all the love for Hindi and, in my opinion, that is the only language which can be the link language for the whole of India. But this is not the way of bringing Hindi to non-Hindi areas. Love begets love. If you respect the languages of others, you will get equal respect for Hindi. If you carry on propaganda to suppress all the other languages in Hindi areas, it is natural for the people of the south to beware of your future plans to see that south Indian languages are also eliminated.

15 hrs.

[SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA
in the Chair]

This very idea is out of fear. The people in the South are not against Hindi, but against the Hindi maniacs or Hindi diehards or Hindi fanatics, who want to impose Hindi on South Indians so that they can have the upper hand. The DMK Member was right when he said that Hindi people want to rule over the country. That is exactly the feeling of the South Indians. This is because of your actions in Hindi areas towards the other languages, the attitude towards the other languages. I would, therefore, request the Hindi-protagonists to be cautious in these things and see that Hindi is very tactfully brought in throughout India. Of course, I am also a protagonist of Hindi.

The second important point is about the adoption of regional languages as the media of instruction at all stages. I am afraid, this may bring in disintegration everywhere. Now we want that the regional languages should be the media of instruction at all stages. In many States it has already reached the higher secondary stage. At the primary stage it is in the mother-tongue; in the secondary stage it is in the regional language, and now at the university stage also we want to introduce the regional languages. Already interpreters are there to interpret from Hindi to English and *vice versa*. After these policies are brought in, there may be about 16 booths where the interpreters will be interpreting in different languages because one cannot express his views that can be understood by another; a Tamilian may only speak in Tamil which may not be understood by a Kannadiga and the Kannadiga may not be understood by a Tamilian; so is the case with Hindi. There will be as many interpreters as there are languages in India.

Then what about the public life? Nobody can express himself to a man from another State. Apart from that, what will be the position of students migrating from one State to another if the regional languages are introduced at the university stage also? Suppose, my boy migrates from North to South or from one State to another, how can he be admitted in the college of that State or how can he learn in that college? We have to think about all these things before we formulate the policy.

Then what about text-books? Even now we see that in the case of secondary schools, text-books are not provided at the proper time. In the case of universities, we want to bring it within five years! I am afraid, we will not be able to bring it even in 50 years.

Then what about teachers? The teacher of one State or one University cannot be transferred to any other State. Then what about the children of the Central Government employees? What about the people who are migrating from one State to another? We have to think of these things. You may say that there will be Centrally run institutions, but how many will there be, at how many places will there be and in what medium? Again we have to introduce English or Hindi. All these things will have to be considered.

The question again is of Urdu students. If the regional languages are introduced at the university stage, what about the students whose mother-tongue is Urdu? In the Constitution it is provided that education at the primary stage will be in the mothertongue. Then at the secondary education stage they will be left in the lurch; either they have to start their own higher secondary schools or stop their education. That has been the fate of the Urdu students everywhere. The State has got the duty to open primary schools and they have opened. After they have finished the primary education, there are no Urdu-medium higher schools at all, and wherever they are there, they are asked to close down. In all the States wherever Urdu is predominantly spoken now, an effort is being made to close down all the Urdu-medium higher secondary schools. Then what will be the fate of this language? Then, in the colleges also, what will the Urdu-speaking people do? There is a vast section of Urdu-speaking population in the country and no provision has been made except a mere statement that adequate safeguards will be provided for linguistic minorities. We know what safeguards are now being provided and how they are implemented. Anyway, this Committee has never thought about the students coming from Urdu-speaking areas nor of the linguistic minorities in a very serious manner. If the regional languages are made the media of instruction at all levels, including the university level, I am afraid, it will bring in disintegration sooner than anybody could.

[Shri Mohsin] expect. (*Interruptions*) I am not an advocate of English. There should be a link language. Why are you bringing Hindi through the back-door? Bring it directly. Make it the language of India, for all the States. If you are bold enough, let it not be brought through the back-door. Of course, we want a link language. Hindi has been accepted as the official language.... (*Interruptions*).

श्री रणबीर सिंह (रोहतक) : यह गलत बात है, उर्दू जरूर होनी चाहिए। हमारी सैकुलर स्टेट है। (*Interruptions*)

SHRI MOHSIN : There is a necessity for a link language; there is no doubt about that, but the link language will have to be accepted by all. My DMK friend was saying that they do not regard Hindi at all as the official language. After all, we have accepted Hindi as the official language; let it be even by majority of one, but we have accepted it as the official language; it has to be made the link language. If you want to make Hindi the link language, then why all this fuss of having the regional languages as the media of instruction at the university level? That will only bring in disintegration. Let the university education be in the medium of Hindi; let it be brought completely and let it be accepted. But they want to bring it by the back-door. They say that Hindi is the link language, but at the same time they also say that the regional languages will be the media of instruction at the university level. That cannot happen.

About the science education, I am afraid, this programme of switching over to the regional languages within five years will greatly affect the study of science and technology. It may require some time for every thing. When we do not have sufficient text-books even for Humanities, can you think of having the text-books for all the subjects in science and technology, for medicine, for engineering, etc., and even for the post-graduate students, within five years? It is too ambitious and I do not think that it can be fulfilled. We must have a plan which can be easily achieved. We cannot think of having all these text-books and also the teachers within this period. The very fact that a professor or lecturer knows Hindi does not mean that he

can effectively teach in the Hindi medium; so also in the case of regional languages. In every State they may know their State languages, yet they cannot teach the students of the graduate class or post-graduate class in the regional language. I am certain about it. The Education Minister, who is an educationist himself, may very well appreciate whether those who know the regional language can effectively teach in that medium. It will be very difficult; it may require a generation to be trained in that language and be able to teach the students in that language. So, at a time when we need scientists of a very high order, when we want the development of science, at such a critical stage, we are bringing in this language policy. Bringing in the regional languages as the media of university education will definitely retard the development of science and technology which India needs most now.

I would like to say a word now about teachers. We find that the standard of education has already deteriorated and I am afraid that it may deteriorate further. The causes for this are many. One of the main causes is that teachers are not provided in sufficient numbers to maintain the proper pupil-teacher ratio. There should be only 40 boys to a teacher, because one teacher can only teach 40 pupils in the primary schools, but that ratio is never maintained, and more than 40 students are allotted to a teacher. Further, there are not sufficient trained teachers, and this paucity has come about because of the lower scales of pay given to teachers. If teachers were to be paid more, then we could attract better qualified persons to the schools and thereby the standard of education could be raised.

With these words, I commend my remarks for the consideration of the Education Minister.

श्री रवि राय (पुरी) : सभापति महोदय, आज जब हम शिक्षा नीति के सवाल पर विचार कर रहे हैं तब मैं पहले एक चीज बतला देना चाहता हूँ कि सरकार जब किसी काम को करना नहीं चाहती, तो उसके लिये एक कमिशन बिठला देती है, और मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि भारत

का स्वराज्य होने के बाद हमारे भूतपूर्व राष्ट्र-पति डा० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमिश्न बिठलाया गया था। शायद आपको मालूम होगा कि उस राधाकृष्णन कमिशन की रिपोर्ट को कार्यान्वित नहीं किया गया, उसको फेंक दिया गया। बाद में जब चागला साहब शिक्षा मंत्री बने तो यह कोठारी कमिश्न मुकर्रर कर दिया गया, और उसकी रिपोर्ट हमारे सामने है।

असल में इस शिक्षा नीति के मामले में जब हम बहस करते हैं तो हमको कुछ ठंडे दिमाग से सोचना चाहिये। मैं खूब ध्यान से अपने डी० एम० के० के सदस्य श्री विश्वनाथन को सुन रहा था। वास्तव में पिछले बीस सालों से भाषा नीति के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बड़ी गलती हो गई। वह गलती यह है कि वह दो चीजों को मिला लेती है। एक तो जिसको अंग्रेजी में रीजनल लैंग्वेज कहते हैं, हमें उसको मातृभाषा में हिन्दुस्तानी भाषायें कहना चाहिये, उसको हिन्दी भाषा को, मिला देती है। असल में आज हिन्दुस्तान की पन्द्रह भाषाओं का, जिनका संविधान में उल्लेख है, और अंग्रेजी का टकराव है। मैं श्री विश्वनाथन से दख्खास्त करूंगा कि असल में हिन्दी उड़िया, बंगला, मराठी और इस तरह की जो दूसरी भाषायें हैं उनके ऊपर पिछले 200 सालों से अंग्रेजी का राज्य रहा है। एक तरफ अंग्रेजी भाषा है, जो कि मुट्ठी भर लोगों की भाषा है, दूसरी तरफ यह भाषायें हैं। आप जानते हैं कि एक लैंग्वेज कमिशन बिठला दिया गया था श्री खेर की अध्यक्षता में। उनके आंकड़े हमारे सामने हैं। तमाम हिन्दुस्तान के डेढ़ या दो प्रतिशत लोग ही अंग्रेजी भाषा समझते हैं। बाकी 98 प्रतिशत लोग या 99 प्रतिशत लोग अपनी मातृभाषा समझते हैं, हिन्दुस्तानी भाषायें समझते हैं। इसलिये एक तरफ तामिल, तेलगू, मराठी, उड़ीया भाषायें हैं और दूसरी तरफ अंग्रेजी है। आप जानते हैं कि अर्थनीति में प्रेशम का सिद्धान्त 78LSS (CP)/67—10

लागू होता है। इसका मतलब यह होता है कि अच्छा रूपया जो होता है उसको खराब रूपया निकाल बाहर करता है।

भाषा नीति के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ जब हम शिक्षा नीति के बारे में बहस करते हैं कि एक विद्यार्थी या छात्र जिस भाषा को मां के दूध के साथ पीता है और प्राथमिक शिक्षा जिस भाषा में पाता है, अगर उस भाषा को विश्वविद्यालय के स्तर तक या उच्च से उच्च स्तर तक नहीं लाया जाता है तो विद्यार्थी को भाषा ज्ञान भले ही हो जाये, विषय ज्ञान नहीं हो सकता है। हिन्दुस्तान के विद्यार्थियों के प्रति आजाद हिन्दुस्तान के पिछले बीस सालों में जो नीति बरती गई है वह यह है कि उनके विषय ज्ञान के प्रति, गणित, इतिहास, भूगोल और जो दूसरे विषय सोशल सायेंसेज के हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। उनसे कहा गया कि तुम संस्कृत पढ़ो, हिन्दी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, तमिल पढ़ो, उड़िया पढ़ो, तीन चार भाषायें एक साथ। सिर्फ भाषाओं का बोझ उन पर लाद दिया गया जिससे उनको विषय ज्ञान नहीं हो पाया। असल में जब हम शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे सामने यह बुनियादी चीज नहीं रहती है कि दुनिया में इस तरह का अभागा देश कोई नहीं है जैसा कि हिन्दुस्तान है जिसमें लड़के लड़कियों की पढ़ाई मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा में होती है। इसका फल यह हुआ है कि हमने देखा है कि पिछले बीस वर्षों में सर सी० वी० रमन जैसे इने गिने वैज्ञानिकों को छोड़ कर किसी के द्वारा कोई मौलिक वैज्ञानिक खोज नहीं हुई है। इसका खास कारण यह है कि हम अंग्रेजी के माध्यम के जरिये अपने विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोग भाषणों में अक्सर गांधी जी का नाम लेते हैं। लेकिन जब भी कोई बात होती है तो गांधी जी की बात को टाल दिया जाता है। फुजूलखर्ची की बात चली तो गांधी जी

[श्री रवि राय]

की बात को कांग्रेस दल द्वारा टाल दिया गया। इस सन्दर्भ में शिक्षा के माध्यम के बारे में जो उनकी राय थी उसको मैं इस संसद में पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। गांधी जी के वाक्य यह हैं :

"Finally, the medium of instruction. My views on this point are too well known to need re-stating. The foreign medium has caused brain fog, put an undue strain on the nerves of our children, made them crammers and imitators, unfitted them for original work and thought and disabled them for filtrating their learning to the family of the masses. The foreign medium has prevented the growth of our vernaculars. If I had the powers of a despot, I would stop the tuition of our boys and girls through a foreign medium and require all the teachers and professors on pain of dismissal to introduce the change forthwith; I would not wait for the preparation of text-books; they will follow the change. It is an evil that needs a summary remedy. My uncompromising opposition to the foreign medium has resulted in an unwarranted charge being levelled against me of being hostile to foreign culture or the learning of the English language."

गांधी जी का राय यह थी। जो दो रिपोर्टें, अर्थात् एजुकेशन कमिशन की रिपोर्ट और पार्लियामेंट के सदस्यों की कमेटी की रिपोर्ट, हमारे सामने हैं उनके सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले बीस वर्षों में बड़ी भारी गलती हो गई। संविधान में कहा गया था कि उसके लागू होने के पन्द्रह वर्षों के बाद भारतीय भाषाओं या मातृ भाषाओं के जरिये शिक्षा होनी चाहिये। लेकिन पन्द्रह साल की अवधि रख कर जो गलती पहले की गई थी उसको एम० पी० की कमेटी फिर दोहरा रही है। वह कह रही है कि पांच साल की अवधि रखी जाये। जब हम कोई अवधि तय कर लेते हैं तो उसके साफ मतलब होते हैं कि मामले को टाल दिया जाये। हो सकता है कि आज जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वह चाहते हों कि मातृ-भाषा के माध्यम के जरिये पढ़ाई लिखाई हमारे

देश में हो लेकिन पिछले बीस साल का अनुभव हमें यह बताता है कि हमने संविधान में यह कहा था कि पंद्रह साल के बाद हिन्दी लागू हो जाएगी लेकिन वह लागू नहीं हुई। हम देख रहे हैं कि आज भी अंग्रेजी पनप रही है, अंग्रेजी बढ़ रही है, फल-फूल रही है। इस पृष्ठभूमि में मैं कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के सदस्यों ने जो पांच साल की अवधि रखी है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की राय यह है कि वह न रखी जाए और फौरन इस चीज को किया जाए, फौरन हिन्दी लाई जाए। अगर हम आज यह निर्णय कर लेते हैं कि मातृभाषा के जरिये शिक्षा दी जानी चाहिये, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाया जाना चाहिये तो हमारा यह परम कर्तव्य हो जाता है कि एक क्षण भी हम नष्ट न करें, फौरन ही इसको लागू कर दें।

यह तर्क दिया जाता है कि हमारे पास किताबें नहीं हैं, हमारे पास विज्ञान की पुस्तकें नहीं हैं, दूसरी चीजें नहीं हैं। भाषा के सिलसिले में जो बुनियादी चीज होती है वह यह होती है कि पहले तुम उसको व्यवहार में लाओ, खेती में, कारखानों में विश्वविद्यालयों में, कचहरियों में पहले उस चीज को ला दो, उसको अपना लो, उसका प्रयोग करना शुरू कर दो उसके बाद संविधान, कोष तथा दूसरी जो पुस्तकें हैं उनका अनुवाद होना चाहिये। बुनियादी चीज उसको पहले प्रयोग में लाने की है, उसके बारे में निर्णय करने की है, और उस निर्णय को अमल में लाने की है। पहले आप यह हुकम दे दें कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषाओं होंगी और इनका ही व्यवहार होगा और उसके बाद आप सब अध्यापकों को यह हुकम दे दें कि छुट्टियों में, ग्रीष्मकालीन अवकाश में फलां फलां किताबों का वे अनुवाद करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपका जो काम है वह बहुत आसान हो जाएगा।

पांच साल की अवधि जो पार्लियामेंट के सदस्यों ने सुझाई है उसको अगर मान लिया जाए तो मैं जानता हूँ कि फिर यह अवधि दस

साल की जाएगी, फिर यह बीस साल की जाएगी और अंग्रेजी का साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा, अंग्रेजी का बोझा हिन्दुस्तान के लाखों, करोड़ों लड़कों, लड़कियों और निवासियों पर लदा रहेगा। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की यह राय है कि इस तरह की कोई अवधि नहीं होनी चाहिये और अविलम्ब हिन्दी और मातृभाषायें आनी चाहियें। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने दिमाग को पक्का करें और इस बारे में जो आप निर्णय लें उस पर अडिग रहें।

विश्वनाथन साहब को मैं सुन रहा था। डा० लोहिया साहब ने जो यह नारा दिया था कि अंग्रेजी को हटाओ, उस पर कोई टिप्पणी उन्होंने की थी। मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि अंग्रेजी हटाओ का मतलब यह नहीं है कि अंग्रेजी की किताबों को मत पढ़ो। इस कमिशन की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि अंग्रेजी को विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी लैंग्वेज मान लिया जाना चाहिये। इसको मैं भी मानता हूँ। लेकिन मैं सदन को एक बात का स्मर कराना चाहता हूँ। 1942 की क्रान्ति के ज़माने में गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजो, तुम पहले भारत छोड़ दो, फिर अगर हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच में दंगे होंगे तो हम भाई भाई उनसे निपट लेंगे, तुम तीसरे दुश्मन जो हो, तुम यहां से चले जाओ। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि बुनियादी चीज़ को पकड़ा जाए। आप इसको भी जानते हैं कि गांधी जी की कोई वैयक्तिक दुश्मनी अंग्रेजों के साथ नहीं थी। इसलिए जब उन्होंने यह नारा दिया कि अंग्रेजो तुम भारत छोड़ कर चले जाओ, उसी तरह से हमको यह नारा देना चाहिये कि अंग्रेजी को सब से पहले हटाओ। परसों हम सब लोगों ने सदन में एक प्रस्ताव पास किया है। वह डा० लोहिया के प्रति सम्मानसूचक प्रस्ताव था। डा० लोहिया का कहना यह था कि अंग्रेजी को हटाओ और उसके स्थान पर मातृभाषाओं

को लागू करो, उनका प्रयोग करो, उनको विश्वविद्यालयों में लागू करो, उनको बच्चों को पढ़ाओ। उसके बाद दूसरी चीज़ आ सकती है। इस वास्ते सब से पहले हमें इसी चीज़ पर जोर देना चाहिये। अंग्रेजी हटाओ का नारा पिछले दस साल से हम देते आ रहे हैं और अंग्रेजी को हटाने के लिए हम प्रयत्न भी करते आ रहे हैं।

दो तीन शिक्षा विदों के नामों का भी मैं इस सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहता हूँ। ये अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के शिक्षा विद हैं। ये कोई नकली शिक्षाविद् नहीं हैं। बंगाल के डा० सत्येन बोस का मैं नाम लेना चाहता हूँ। वह राष्ट्रीय अध्यापक हैं। एक प्रख्यात वैज्ञानिक हैं। उनके जो विचार थे मातृभाषाओं के सम्बन्ध में उनको मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। वह आठ दस साल पहले हैदराबाद में अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए आए थे। सीधे टोकियो से वे वहां आए थे। टोकियो में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। वह वहां गए थे। उनका कहना था कि वहां जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, जितने भी वैज्ञानिक टोकियो में एकत्र हुए थे उन सब ने अपनी अपनी मातृभाषा में अपने विचार व्यक्त किये थे, वहां कोई अंग्रेजी नहीं चली थी। हां, वहां पर अनुवाद की व्यवस्था थी। वहां पर मातृभाषा के जरिये बहस होती थी। उनका यह भी कहना था कि विज्ञान और ज्ञान का विकास तभी हो सकता है जबकि लड़के लड़कियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए।

मैं एक दूसरे शिक्षाविद् का जिक्र करना चाहता हूँ जिनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी। वह मैसूर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति हैं। मैं उनके पास गया था। डा० लोहिया ने मुझे उनके पास भेजा था। उनसे मेरी बात हुई थी। उनको भी हैदराबाद में जो अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। कन्नड़ भाषा के वह सब से बड़े विद्वान हैं।

[श्री रवि राय]

वह उस सम्मेलन में तो नहीं आ पाए बीमारी के कारण लेकिन उनका कहना यह था कि उनका अनुभव यह बताता है कि दस बारह साल पहले जब वह कर्नाटक विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे तब उन्होंने यह फैसला किया था कि मैसूर विश्वविद्यालय में कन्नड़ भाषा में पढ़ाई लिखाई होनी चाहिये और जब उन्होंने अपना यह फैसला अध्यापकों को बता दिया उनको आज्ञा इसके बारे में दे दी कि तुम लोग विद्यार्थियों को कन्नड़ भाषा में पढ़ाओ तो सब अध्यापक उनके पास आए—अध्यापकों के लिए मैं कोई असम्मानसूचक बात नहीं बता रहा हूँ, अध्यापकों का जो अनुभव था वह मैं आपको बता रहा हूँ—और उन्होंने उनसे कहा कि आप यह हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। आप हमें अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास आदि कन्नड़ भाषा में पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, यह आप हम सब से बड़ा अन्याय कर रहे हैं। उनका कहना था कि हम लोग इन विषयों को अंग्रेजी में पढ़ाते हैं तो बी० ए० के नीचे के जो लड़के होते हैं वे अंग्रेजी को समझ नहीं पाते हैं और अगर हम भूल कर भी जाते हैं तो वे उसकी परवाह नहीं करते हैं। अब अगर हम मातृभाषा में पढ़ायेंगे तो वे हमारे भाषणों को समझेंगे और वे पढ़ कर जायेंगे और हमें भी तैयारी कर के जाना होगा। अब हम जब अंग्रेजी में पढ़ाते हैं तो अगर कोई भूल या गलती हो जाती है तो उसकी वे परवाह नहीं करते हैं और अब अगर हम कन्नड़ में पढ़ायेंगे और कोई गलती या भूल कर जायेंगे तो बच्चे हमको माफ नहीं करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है, अंग्रेजी जो माध्यम है, उसको बने रहने दिया जाए। यह डा० पुटुप्पा के विचार थे, उनके अनुभव की बात थी जो मैंने आपको बतलाई है। अब उनका कार्य-काल पूरा हो चुका है और वे इस पद से हट चुके हैं। उनका कहना था कि मामला बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इसके बारे में दृढ़ निश्चय लें और उस पर आप कायम रहें।

एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। तमिलनाड में यह कहा जाता है कि वे नहीं चाहते हैं कि वहाँ हिन्दी को कम्पलसरी विषय बनाया जाए, उनको हिन्दी पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए। मैं उन आदमियों में से हूँ जो यह चाहते हैं कि तमिलनाड में या बंगाल में अगर वे यह नहीं चाहते हैं कि हिन्दी उनको पढ़ाई जाए तो उन पर हिन्दी को लादा न जाए। वहाँ पर शिक्षा का माध्यम तमिल को और बंगला को बना दिया जाए। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी नहीं चाहती है कि किसी पर हिन्दी को लादा जाए। इसलिए अगर तमिलनाड में और बंगाल में लोग नहीं चाहते हैं कि हिन्दी उनको पढ़ाई जाए तो उन पर हिन्दी को लादा न जाए और उनको उनकी मातृभाषायें ही पढ़ाई जायें, तमिल भाषा और बंगला भाषा ही उनको पढ़ाई जाएं, यही भाषायें उनकी शिक्षा का माध्यम बनाई जायें। इस पर तो मैं नहीं समझता हूँ कि विश्वनाथन साहब को कोई आपत्ति हो सकती है। लेकिन अंग्रेजी को वहाँ से भी हटा दिया जाए। जो यह चाहता है कि उन पर हिन्दी लादी जाए वह मैं समझता हूँ कि हिन्दी का दुश्मन है। जिन लोगों को हिन्दी से किसी भी कारण से चिढ़ हो गई है उन पर हिन्दी को लादा नहीं जाना चाहिये। ऐसे भी तमिलनाड में लोग हैं जो यह चाहते हैं कि वहाँ तमिल आनी चाहिये और अंग्रेजी को वहाँ से हटा दिया जाना चाहिये। ऐसे लोगों को भी हमने अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन में बुलाया था। श्री शिवज्ञान ग्रामणि खुद चाहते थे कि वहाँ से अंग्रेजी हट जाए, तमिलनाड से अंग्रेजी हट जाए और तमिल वहाँ आए। मेरे लिए वह अनोखा और खूबी का दिन था जब हमारे दोस्त पाटिल साहब ने कन्नड़ भाषा में भाषण किया था। डी० एम० के० के दोस्तों ने भी यहाँ पर कई बार तमिल में भाषण किये हैं। मैं चाहता हूँ कि यह जो परम्परा उन्होंने डाली है इसको उनको जारी रखना चाहिये। हम भी उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला कर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तमिल, उड़िया, बंगला, हिन्दी

[श्री रवी राय]

आदि सभी भाषाओं का उत्थान हो। सब को हम उन्नति करना चाहते हैं। मैं उनसे दरङ्खास्त करूँगा कि वे अंग्रेजी के प्रति मोह को खत्म कर दें। जब तक ऐसा नहीं होता है तमिल भाषा की उन्नति कभी नहीं हो सकती है। मैं जानता हूँ कि यह बहुत कठिन काम है, लेकिन आज मैं बिहार सरकार को बधाई देता हूँ कि उस ग्रैर-कांग्रेसी सरकार ने कार्य-भार सम्भालने के दो तीन महीने बाद ही यह एलान कर दिया कि जो बच्चे मैट्रिकुलेशन परीक्षा में गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषयों में पास करते हैं और अंग्रेजी में फ़ेल करते हैं, वे पास समझे जायेंगे। बिहार सरकार ने इसके लिए कोई कमेटी या कमीशन नियुक्त नहीं किया। चूँकि बिहार सरकार में प्रबल इच्छा-शक्ति थी, इसलिए यह काम वहाँ पर हो पाया।

इसी प्रकार मैं काशी विद्यापीठ के, जो कि एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने यह आन्दोलन किया कि अंग्रेजी को बाध्यतामूलक विषय के स्थान पर ऐच्छिक विषय बना दिया जाये। उनका आन्दोलन कामयाब रहा और अब काशी विद्यापीठ में अंग्रेजी एक बाध्यतामूलक विषय नहीं रह गया है। बिहार सरकार के पास प्रबल इच्छा-शक्ति और काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों में दृढ़ मनोबल और संकल्प था कि अंग्रेजी को फ़ौरन हटा देना चाहिए, क्योंकि वह सब भारतीय भाषाओं की दुश्मन है। इस सिद्धान्त को ले कर बिहार सरकार और काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने यह फ़ैसला किया और इसी के अनुसार वे चल रहे हैं।

जब हमारी संकल्प शक्ति क्षीण या खत्म हो जाती है, तो हम तरह तरह के तर्कों में फंस जाते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजी दुनिया की भाषा है। दुनिया की जनसंख्या 300 करोड़ है, जिसमें से अंग्रेजी-भाषी 40, 50 करोड़ से कम ही होंगे, ज्यादा नहीं। क्या युनाइटेड नेशन्स में सिर्फ अंग्रेजी चलती है? वहाँ पांच भाषायें चलती हैं। इसलिए इस तर्क में कोई

तथ्य नहीं है कि अंग्रेजी दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आज दुनिया में कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। उसके लिए तीस, चालीस, पचास, साठ साल लग सकते हैं। अंग्रेजी कुछ इने-गिने देशों की भाषा है। इसलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा बना देना शक्य है।

यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजी के बिना विज्ञान की शिक्षा कैसे दी जा सकेगी। मैं आपको जापान का उदाहरण देना चाहता हूँ। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में जापान के बहुत से विद्यार्थी पढ़ने के लिए अमरीका और रूस गए थे। जब वे लौट कर आए, तो जापान के मंत्रि-मंडल के सामने यह सवाल आया कि ये लोग किस भाषा में जापान के बच्चों को पढ़ायेंगे। सात दिन तक जापान की कबिना ने बहस की और फिर उसने यह फ़ैसला किया कि जापानी भाषा में ही बच्चों को पढ़ाया जाये। उसने यह निश्चय किया कि अगर जापानी भाषा में पर्याप्त शब्द नहीं हैं, तो दुनिया की अन्य भाषाओं के टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया जाये। इसी मार्ग पर चल कर जापान ने विज्ञान और टेकनालोजी आदि के क्षेत्र में इतनी प्रगति की कि एक एशियाई देश होते हुए भी उसने 1904 में रूस को हरा दिया। जापान ने फ़ैसला किया था कि भले ही जापानी भाषा उस समय तथा कथित घनः नहीं थी, उसमें उपयुक्त शब्दावली नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ के विश्वविद्यालयों और कच-हार्दर्यों आदि में जापानी भाषा चलना चाहिए।

अन्त में मैं कमीशन के अध्यक्ष, कोठारी साहब, को बधाई देना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट में एक दो बातें अच्छी लिखी गई हैं। आज प्राथमिक विद्यालयों में बहुत अरुमानता और वैषम्य है। आज स्थिति यह है कि गांव या म्यूनििसिपैलिटी के प्राथमिक विद्यालयों में साधारण किसानों और मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ दस पंद्रह रुपये खर्च होता है, जब कि बड़े बड़े लोगों के बच्चे उटाकमंड और देहरादून आदि के फ़ैशन वाले स्कूलों में पढ़ते हैं,

[श्री रवी राय]

जहाँ तीन चार सौ रुपये खर्च होता है। हिन्दुस्तान एक गणतांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों की शिक्षा में इतना वैषम्य है, इतनी असमानता है। हिन्दुस्तान का प्रजातंत्र उस दिन पनपेगा, जबकि सब बच्चों के लिए एक तरह के स्कूल होंगे और राष्ट्रपति का बच्चा और मेहतर या किसान का बच्चा एक ही प्राथमिक स्कूल में जायेंगे। एडुकेशन कमीशन की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है।

मैं महसूस करता हूँ कि विश्वविद्यालय के स्तर पर इस समानता को लाने के लिए तो शायद बीस तीस वर्ष लग सकते हैं, लेकिन कम से कम प्राथमिक विद्यालय में तो यह व्यवस्था तुरन्त लागू कर देनी चाहिए और इसमें और अधिक समय नहीं लगना चाहिए। ऊटाकमंड, देहरादून और दार्जिलिंग आदि में जो फ्रेशन वाले स्कूल हैं, वे अभी से खत्म होने चाहिए और सब प्राथमिक विद्यालय एक तरह के होने चाहिए। आज प्राथमिक स्कूलों की उन्नति इसलिए नहीं हो रही है, क्योंकि बड़े लोग यह जानते हैं कि उनके बच्चे तो फ्रेशन वाले स्कूलों में जाते हैं, जब कि किसानों, मजदूरों और साधारण नागरिकों के बच्चे म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों में जाते हैं। जब बड़े लोगों और मंत्रियों आदि के बच्चे भी साधारण स्कूलों में जायेंगे, तो उनके दिमाग में उन स्कूलों की उन्नति की इच्छा पैदा होगी। एक कांग्रेसी सदस्य ने बेसिक एडुकेशन के बारे में कहा। गांधीजी ने बेसिक एडुकेशन को शुरू किया और उसका कमेटी के सभापति वर्तमान राष्ट्रपति, डा० जॉर्जर हुसैन थे, लेकिन इसके बावजूद बेसिक एडुकेशन फ़ेल हुई, क्योंकि मंत्रियों और अफसरों के बच्चे तो फ्रेशन वाले स्कूलों में गए और साधारण लोगों के बच्चे म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों में जाते रहे।

देश के शिक्षकों के अधिकार के बारे में रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, मैं उसकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। हर एक राज्य सरकार इस बात को नहीं समझी है कि शिक्षकों को

राजनीति में, सियासत ज़िन्दगी में, भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। मैं इस बात का जोरदार समर्थन करता हूँ कि शिक्षकों को देश की राजनीति में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। कोठारी साहब और अन्य शिक्षा-विद् सदस्यों ने यह मान लिया कि उनको राजनीति में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए।

जहाँ तक शिक्षकों के वेतनों का सम्बन्ध है, मैं आपकी इजाजत से उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से भेजे गए एक डाकुमेंट को सभा-पटल पर रखना चाहता हूँ। उसमें कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धान्त संविधान में मान लिया गया है, लेकिन उसको कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार के जमाने में हर जिले में एक जिला स्कूल होता था, जिला माध्यमिक विद्यालय। उसके हैडमास्टर और अन्य शिक्षकों के वेतन और दूसरे प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के वेतन में जमान आसमान का अन्तर होता था। वह सिलसिला अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों की संस्थान की ओर से भेजे गए विवरण में कहा गया है:

"1947 में समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धान्त स्वीकार कर प्रिंसिपल, ट्रेन्ड ग्रेजुएट, ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट के निम्नतम वेतन दरों में समानता स्थापित की गई। 1959 में ट्रेन्ड ग्रेजुएट, ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट तथा जे० टी० सी० वेतन-क्रमों के न्यूनतम एवं अधिकतम वेतन में समानता स्थापित की गई और जिन वेतन-क्रमों में समानता नहीं स्थापित की गई, वहाँ जो असमानता थी, वह आधी कर दी गई और कहा गया कि अवशेष असमानता भी शीघ्र दूर कर दी जायेगी। परन्तु 1965 में अभिनवीकरण की रिपोर्ट सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए न लागू कर असमानता और भी

बढ़ा दी गई। समानता का कहीं नामो-निशान भी नहीं रहा।”

केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि जो राज्य विषय-विद्यालय और कालेज के शिक्षकों के वेतन बढ़ाना चाहते हैं, हम उनको सहायता देंगे, लेकिन प्राथमिक शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षकों के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई फ़ैसला नहीं किया है। कांग्रेस सरकार समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धान्त को लागू नहीं कर रही है, जब कि यह सिद्धान्त हमारे संविधान में स्वीकार कर लिया गया है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देश की शिक्षा नीति का पहला पहलू होना चाहिए कि शिक्षक लोगों को समान स्थान देना चाहिए। आज क्या हो रहा है? एक ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर है वह सोचता है एक हाई स्कूल का हेडमास्टर उसके सामने क्या है? वह बेचारा एक मास्टर है, उसकी उसके सामने क्या बराबरी हो सकती है? वह इसीलिए कि वेतनों का जो फर्क है इसके कारण शिक्षक का कोई सम्मान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि शिक्षक लोगों को सम्मान के साथ समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाय।

अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के माध्यम के सिलसिले में जो मैंने पहले कहा था इच्छा होगी, अटल इच्छा होगी, संकल्प होगा तब जाकर यह चीज हो पायेगी और तब पांच साल की अवधि रख कर सबको खत्म कर दीजिए। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का यह पक्का विश्वास है कि अगर फौरन अंग्रेजी को नहीं हटाते हैं, इसी क्षण नहीं हटाते हैं तो अंग्रेजी इस देश में पनपती रहेगी, इस चीज को शिक्षा मंत्री थोड़ा समझ जाय तो उनके लिए थोड़ी आसानी रहेगी और वह उसके माध्यम के संबंध में कार्यवाही कर सकेंगे।

SHRI TENNETI VISWANATHAM
(Visakhapatnam) : Madam Chairman, the discussion on this subject necessarily turns

upon the language problem and integration of India. When my friend from DMK—he is my name-sake—was speaking, there were some interruptions. That is because there is a want of understanding between those who hold different points of view. Words like ‘unpatriotic’ are easily bandied here. I earnestly request every member not to use such words if they want the integration of the country to proceed smoothly. He referred to the recent by-election in the Madras City. I do not belong to Madras now, although I belonged to it once. We should learn a lesson from that, rather than go back to our arguments of 1946, 1947, 1952 or 1964. I do not like to go into those arguments. Nobody need try to convince us that India should have one common language. Nobody need try to accuse that we will be ‘ghulams’ if we say, “Think for a while before you act”. All that is wanted is cool thinking and circumspection. Language is a very inflammable subject as is proved today on the floor of this House. The moment when certain propositions are made in a language, a little too wide perhaps than necessary, immediately people jump up. It only shows there should be greater responsibility in the choice of our words.

Recently I happened to preside over a language seminar in Andhra University at Waltair, attended by one professor from UP, one from Orissa and some other professors from various parts. One member from the south, who did not like Hindi, suddenly said, “Hindi is not developed; why do you try to impose it on us?” He did not realise how it would hurt a Hindi gentleman. So, I intervened. We should never say a word which will hurt another. We should all get together and for that, we should understand each other. More than that, we have not to misunderstand each other. When our friend from Mysore spoke of circumspection, immediately I heard a voice, “You want to be a ghulam of English”. None of the 500 and odd members here wants to be a ghulam of English or of any particular language. We only want some cool and clear thinking. We want a national language and rightly or wrongly Hindi was accepted as the national language. That proposition is not controverted. All that we say is this : “In the south there is resistance; why don’t you recognise it?” The recent by-election showed it. That is their argument. Why do you try to brush it

[Shri Tenneti Viswanatham]

aside? By brushing it aside, is our object achieved? It does not solve the question. All that is necessary is cool thinking. The time-limit for switch over to Hindi was fixed as 1965 originally. The Kothari Commission said 10 years more, but the Committee of Members of Parliament said, only 5 years. These were all time-limits set by haste. In fact, we might spoil a good thing by being hasty. Objectives will not be realised by being hasty. It is like sowing a seed today and tomorrow lifting it up to see whether it has struck roots. That is what we have been doing all these years. Even after adopting Hindi as official language no real steps were taken to propagate it. Only some voluntary organisations took some steps throughout India. Even if steps were taken in those days, I submit that 15 years was too small a period for a changeover of language. On the other hand, if you are optimistic and if you say we are wrong, why do you take even 5 years? From tomorrow change it over completely, if you can. I will be with you. But the fact is every protagonist of every ism here has got a doubt about its practicability. Therefore, we have to find out the greatest common measure of agreement and proceed.

We require time. Languages do not die easily. They always persist. Every day the radio announces the date in the Saka era. But several historians are of the opinion that Sakas were not Indians. Even though there was no compulsion, Latin persisted in England in parliamentary proceedings and judicial decisions. Languages have got a knack of persisting. Take Hyderabad. The Nizam's rule ended in 1948, but still the persons who were fighting for the formation of Andhra Pradesh talk in Urdu, although it is a Telugu area. So, the fact is, we are not conscious of it. These things persist. Every argument advanced by every protagonist has some merits. Taking all these things into consideration, a certain promise was given in 1964 by Panditji. Let us stick to the spirit of it. Let us not confine it merely to what is called the Official Language Bill. I will tell you how suspicions arise. In 1957, ten years ago, there was an advertisement for the post of a typist to be filled in one of the Company Law Departments in the city of Madras. The records of the Company Law Departments generally are

in English. But the advertisement said that the typist must have knowledge of Hindi—it was in 1957, eight years before the zero date. It is these things that create difficulties. The Kothari Commission gave ten years. The Members of Parliament reduced it to five years.

15.50 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER IN THE CHAIR]

I will tell you another incident. These things lie in our hearts. There were two of my friends who passed their M.A. in Hindi from the Banaras Hindu University. They were Telugu men. They passed their Hindi examination from the Banaras Hindu University. Both of them were publishing poems and stories in Hindi in journals here. There was an advertisement for translators in the Defence Department here. I happened to be in Delhi in those days. These two friends also applied for the post. The moment they said, in answer to the question by the interviewing authorities, that they were from Andhra Pradesh they were told: "If you are from Andhra Pradesh you will not be good enough, you may go away". These things strike at the very roots of integration, they lie in the recesses of our hearts, in the hearts of those who come from non-Hindi-speaking areas. Therefore, my plea to everyone is, let us not bandy words. We are all united; we have to have a national language. But if today we cannot speak one language we should not hate each other, we should not call each other names. That will be going to the level of school boys. Even school boys will think it defamatory if I tell them like that. We are a responsible body here. Therefore, we must be a little more circumspect. In these things time is the healer and we must give time.

The Andhra University, for example passed a resolution that from 1969 all university education will be in Telugu. I asked one of the ministers why he has put it as 1969 and not from today itself. He asked: "Where is the possibility"? Is there a possibility in 1969? The fact is, it is neither in 1967 nor in 1969. Or we must take a revolutionary attitude completely. I have no fears that the standards will fall. What does it matter if the standards fall? One of my senior lawyers who was writing his biographical reminiscences said that in his days

no man could get a first class unless he secured 75 per cent. When I appeared for law it was only 50 per cent. Standards were brought down by us. A resolution here would not be passed unless we have fifty per cent of the votes. A man with 33 per cent can get his degree in B.A. or B.Sc. We have ourselves brought down the standards. We will lower the standards whether it is in English or in the regional languages. It depends upon ourselves. The argument of standards does not appeal to me. If we think we can switch on tomorrow, we should switch over tomorrow. What will happen? The education of a few people will be sacrificed—people of one generation. It has been sacrificed for some years on account of the various changes made by the education departments throughout India. After I left college forty years ago there have been at least ten kinds of changes in the educational system.

My hon. friend was referring to basic education. He pleaded for basic education. I think the Congress Government was pledged to basic education. I will tell you a small incident that happened in Visakhapatnam, the place from where I come. Till two months ago there was a basic training school in a building owned by the Government for the last 120 years. Coolly and calmly, in spite of the protest of everybody, it was converted into Super Bazar only two months ago and the trainees were asked to go to a place 18 miles away in another town.

AN HON. MEMBER : Change in value.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : No one believes in what he says and no one says what he believes. That has been our difficulty in this language problem also.

My appeal to those who are for the five-years period for Hindi and those who are completely for regional languages at the university level also, is that they should consider the difficulties. I will not say they are insurmountable, but a little time is required. What happens to the proceedings in the High Courts, in the Supreme Court and tomorrow here? If tomorrow we want to switch over completely to the regional languages here, what will be the position? Today at least I am able to stand and speak which at least some of you are able to understand. If

everything is done in regional languages from tomorrow we will be so regionalised and perhaps we will be sitting in 17 compartments here and we will have to talk among ourselves while things are going on in their own way elsewhere. My humble plea is that we should have time.

So far as standards are concerned, apart from the question of language, my appeal to the Government is that the status of teachers should be enhanced in a revolutionary way. There is no point in trying to patronise the school teachers. They are the persons into whose hands you send your Prahladas, your little children. Most of them are absolutely ill-educated. If a man passes his Fourth Form he does not become a trained teacher. If he fails in the Third Standard he joins training and becomes a primary school teacher. What is the education that he is able to give? What are the salaries that you are going to give or you have been giving to the educators of your children? I beg to submit that the salaries to be given to the teachers, next to food and defence department charges, must be made the first charge upon the budget of any State. Unless you consider it a first charge to train your own children in a better way, to give them better education, to give them better discipline, to give them better morals, to give them better understanding and a concept of the wider horizon, we will not be able to proceed. That can be done only if you draft into your teaching circles persons with high morals, with high calibre, high education, high culture, with a sense of patriotism and with a sense of developing values of the new society. There is no use trying to attract into the circles of teachers old world people or old world ideas. You have to bring in new ideas by taking men who have high culture, a wide horizon and a new concept of the society. That can be done if you attract the best men. For that you have to give them better emoluments. Their emoluments should be the first charge upon our budget. Then only I see a bright hope for our future.

MOTION RE : GOVERNORS OF STATES

MR. DEPUTY-SPEAKER : We shall now take up Shri Nath Pai's motion, for which two hours have been allotted. We will have to regulate the time. I would